अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित माध्यमिक स्कूल परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार

पृष्ठभूमि

1. भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को गरीबों, पद-दलित और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संघर्ष करने के वास्ते देशभर में आदर-सम्मान दिया जाता है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बड़ौदा के महाराजा द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पुरस्कार बाबा साहेब के जीवन और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण महत्व रखता था। योग्यता को पहचानने और छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित मेधावी छात्रों को एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है।
2. इस योजना को "डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना" के नाम से जाना जाएगा।
3. यह योजना डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी।

4. उद्देश्य

अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित मेधावी छात्रों की पहचान करना, बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

5. पात्रता

I. छात्र अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित होना चाहिए।

II. एससीएस और एसटी के लिए अलग-अलग पुरस्कार होंगे।

III. छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में बैठा हो और माध्यमिक स्कूल परीक्षा में कुल 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हो। देश के 29 बोर्डों/परिषदों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

6. पुरस्कारों की संख्या

6.1 अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित नियमित कक्षा 10 स्तर की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को दिया

जाएगा। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग होगा। यदि पहले तीन पात्र छात्रों में से कोई भी छात्रा नहीं होती है, तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को विशेष पुरस्कार मिलेगा।

6.2 इस प्रकार, अनुसूचित जाति के लिए 26 बोर्डों में से प्रत्येक के लिए चार पुरस्कार होंगे यानी 104 पुरस्कार और इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 104 पुरस्कार होंगे। यदि एक से अधिक छात्र समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सभी पात्र छात्रों को कवर करने के लिए पुरस्कारों की संख्या तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

6.3 1991 की जनगणना के अनुसार, देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के बाद अगले सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 10,000/- रुपये की दर से 250 विशेष योग्यता पुरस्कार दिए जाएंगे। यह उपर्युक्त पैरा 2 में दर्शाए गए पुरस्कारों के अतिरिक्त होगा। इन 250 पुरस्कारों का विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है।

7. पुरस्कार की राशि

पुरस्कार निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एकबारगी अनुदान के रूप में दिया जाएगा:-

I.	सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 60,000/-
II.	दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 50,000/-
III.	तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 40,000/-
IV.	सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा (यदि वह उपरोक्त तीन श्रेणियों में नहीं है)	रु. 40,000/-
	कुल	**रु.1,90,000/-** **(प्रति बोर्ड/परिषद)**

यह पुरस्कार किसी भी अन्य पुरस्कार के अतिरिक्त दिया जाएगा, जो छात्र को अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहा है।

8. वित्तीय निहितार्थ

8.1 26 बोर्डों के 104 एससी छात्रों के लिए	रु. 49.4 लाख
8.2 26 बोर्डों के 104 एसटी छात्रों के लिए	रु. 49.4 लाख
कुल	**रु. 98.8 लाख**
8.3 250 विशेष पुरस्कार रु.10,000 की दर से =	रु. 25.0 लाख
8.4 कुल अनुमानित व्यय	रु.123.8 लाख
8.5 लाभान्वित होने वाले कुल छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति 104+ 167= 271 अनुसूचित जनजाति 104+83= 187 कुल = 458

9. <u>चयन की प्रक्रिया</u>

परीक्षा आयोजित करने वाला बोर्ड/परिषद छात्रों का विवरण (नाम, पता, अंकों का प्रतिशत, अंतिम बार किस स्कूल में गया, निकटतम बैंक आदि) **अनुलग्नक-II** में दिए गए प्रारूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेजेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को भी भेजी जाएगी। बोर्ड/परिषद के सचिव द्वारा सूचना को विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाएगा। राज्य सरकार अगले 15 दिनों के भीतर सूची को सत्यापित करके प्रतिष्ठान को भेजेगी, बशर्ते कि यदि निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार से विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो बोर्ड/परिषद से प्राप्त विवरण के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

<u>संवितरण</u>

10. मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रतिष्ठान में कार्यवाही की जाएगी और पुरस्कार राशि पुरस्कार विजेता छात्रों को सीधे पंजीकृत डाक द्वारा खाताधारक बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी, जिसकी सूचना बोर्ड/परिषद और अंतिम बार अध्ययन किए गए शैक्षणिक संस्थान को दी जाएगी। पुरस्कार विजेता छात्रों को राशि को सावधि जमा में रखने और उस पर अर्जित ब्याज का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बशर्ते कि व्यक्तिगत शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए राशि का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
11. 29 बोर्डों/परिषदों में से प्रत्येक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता छात्रों और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को या तो प्रत्येक वर्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा या प्रतिष्ठान संबंधित जिला

मजिस्ट्रेट/उपायुक्तों के माध्यम से अपनी सुविधानुसार पुरस्कार विजेता छात्रों को पुरस्कार भेज सकता है। यदि प्रतिष्ठान छात्रों को आमंत्रित करता है, तो पुरस्कार विजेता छात्र और एक एस्कॉर्ट को उनके अध्ययन स्थल या उनके निवास स्थान से स्लीपर क्लास ट्रेन/बस द्वारा दिया गया वास्तविक किराया (दोनों तरफ) दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 2.08 लाख रु., 1000 रु. (पुरस्कार विजेता छात्र और एस्कॉर्ट के लिए औसतन) खर्च किए जाएंगे।

12. इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल 125.88 लाख रु. का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे देश भर में 458 छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा और कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों को योग्यता और शैक्षणिक उत्कृष्टता की मान्यता के कारण अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ होगा। यदि योजना पर कोई संदेह है, तो इसे डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेजा जाएगा और प्रतिष्ठान का निर्णय अंतिम होगा।

बोर्ड/परिषद

देश के 29 बोर्ड/परिषदों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

बोर्डों/परिषदों की सूची

1. आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम
3. बिहार शिक्षा बोर्ड परिषद, बिहार
4. गोवा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा
5. गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गुजरात
6. हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू और कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, कर्नाटक
10. केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, केरल
11. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड, महाराष्ट्र
13. मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर
14. मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड, मेघालय
15. मिजोरम स्कूल शिक्षा बोर्ड, मिजोरम
16. नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, नागालैंड
17. उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा
18. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, पंजाब
19. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
20. तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु
21. त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा
22. यू.पी. हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, यू.पी.
23. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
24. झारखंड अकादमिक परिषद, झारखंड
25. छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़
26. उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड

<u>अखिल भारतीय बोर्ड</u>

27.केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

28.भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद

29.राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

अनुलग्नक-II

विशेष पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों के लिए	अनुसूचित जनजातियों के लिए
1	आंध्र प्रदेश	13	4
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3	असम	2	3
4	बिहार	12	1
5	गोवा	1	-
6	गुजरात	3	6
7	हरियाणा	3	1
8	हिमाचल प्रदेश	1	1
9	कर्नाटक	8	2
10	केरल	3	1
11	मध्य प्रदेश	9	9
12	महाराष्ट्र	10	7
13	मणिपुर	1	2
14	मेघालय	1	3
15	मिजोरम	1	2
16	नागालैंड	-	2
17	उड़ीसा	6	7
18	पंजाब	7	-
19	राजस्थान	8	5
20	सिक्किम	1	1
21	तमिलनाडु	11	1
22	त्रिपुरा	1	2
23	उत्तर प्रदेश	32	1
24	पश्चिम बंगाल	18	4
25	झारखंड	3	6
26	छत्तीसगढ	2	6
27	उत्तराखंड	2	-
28	जम्मू एवं कश्मीर	1	1

संघ राज्य क्षेत्र

1	अंडमान और निकोबार	-	1	
2	चंडीगढ़	1	-	
3	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	
4	दमन और दीव	1	1	
5	दिल्ली	2	-	
6	लक्षद्वीप	-	1	
7	पांडिचेरी	1	-	
	कुल	**167**	**83**	**250**